

नकली हॉलमार्किंग कर अवैध शराब बेचने वाला गिरफ्तार, 2.5 लाख की शराब बरामद



**लखनऊ।** शहर में नकली हॉलमार्किंग और फर्जी लेबलिंग के जरिए अवैध शराब (Liquor) बेचने वाले आरोपी को ठाकुरगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान अनिल सिंह के रूप में हुई है, जो पहले भी जेल जा चुका है। पुलिस ने उसके पास से करीब 2.50 लाख रुपए की 22 पेटी शराब और अन्य सामग्री बरामद की है।

पुलिस के अनुसार, आरोपी अपने घर में ही गैर-प्रांत की सस्ती शराब रखता था और उसे अलग-अलग ब्रांड की खाली बोतलों में भरकर महंगे दामों पर बेचता था। वह फर्जी हॉलमार्किंग, स्टीकर, ढक्कन और QR कोड लगाकर इस अवैध शराब को असली के रूप में बाजार में सप्लाई करता था।

आरोपी के पास किसी प्रकार का लाइसेंस नहीं था, फिर भी वह अवैध रूप से शराब बेचकर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा था।

SHO श्रीकांत राय के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए अनिल सिंह को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मौके से भारी मात्रा में शराब के अलावा फर्जी हॉलमार्किंग और पैकिंग से जुड़ा सामान भी बरामद किया गया है। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस धंधे में और कौन-कौन शामिल है और यह शराब कहां-कहां सप्लाई की जाती थी।

Source: <https://youthindiatoday.com/arrested-for-selling-illicit-liquor-by-doing-fake-hallmarking/>